परिशिष्ट ''ठ''

नियम 81

सड़क से हटकर वाहन खड़े करने का स्थान

ठ–1 (1) ड–2 से ड–6 में दिये गये अनुसार सड़क से हटकर गाड़ी खड़ी करने के लिए छोड़े जाने वाले स्थान नियम 80 में दिये गये प्रकाश तथा संवातन प्रयोजनों के लिए छोड़े गये खुले स्थानों के अलावा होंगे। तथापि गाड़ी के निर्वाध रूप से निकलने के लिए अपेक्षित कम से कम 6 मीटर स्थान में कटौती किये बिना 12 मीटर के सामने खुले स्थान में एक कतार में गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था की जा सकेगी।

(2) इसके अलावा भवनों के आसपास नियम 55 के अधीन अपेक्षित खुले स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थानों का गाड़ी खड़ी करने या माल चढ़ाने उतारने के लिए उपयोग किया जा सकेगा, परनतु भवन के चारों और 3.6 मीटर के न्यूनतम स्थान को किसी भी गाड़ी को खड़ी करने, माल चढ़ाने, उतारने के रूप में उपयोग किये जाने से मुक्त रखा जायेगा।

ठ–2 सड़क से अलग मोटर गाड़िया खड़ी करने के लिए दिये गये प्रत्येक स्थान का क्षेत्रफल 13.75 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा तथा स्कूटरों और साइकिलों को खड़ा करने के लिए दिये गये स्थान का क्षेत्रफल क्रमशः 1.25 वर्ग मीटर तथा 1. 00 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।

ठ–3 विभिन्न दखलकारी भवनों के लिए सड़क से अलग गाड़ियों को खड़ा करने के लिए स्थान की व्यवस्था निम्नानुसार अनुबंधित की जायेगी।

(क) मोटर गाड़ियां – मोटर गाड़ियां (कारों) को खड़ा करने के लिए निम्नलिखित सारणी में विनिदिष्ट स्थान की व्यवस्था की जायेगी :–

सारणी

क्रमांक	सड़क से हटकर वाहन खड़े करने के स्थान (खण्ड–3)			
	दखलकारी	एक कार खड़ी करने के स्थान के लिए स्थान		
		2,00,000 से 10,000,000 तक की जनसंख्या के लिए	50,000 से 200,000 तक की जनसंख्या के लिए	50,000 से कम जनसंख्या के लिए
1	2	3	4	5
1	आवासिक (एक) बहुपरिवार	(क) 2 कोठरियां जिनका फर्शी क्षेत्रफल 101 से 200 वर्ग मीटर तक हो (ख) एक कोठरी जिसका फर्शी क्षेत्रफल 201 वर्ग मीटर से अधिक हो		
	(दो) सेवास अधिष्ठान पर्यटन गृह तथा होटल, जिनमें सेवास स्थान हो	4 अतिथि कक्ष	8	12
2	शैक्षणिक (2)	70 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल या उसी के प्रभाव के रूप में प्रशासनिक कार्यालय क्षेत्र या सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों का क्षेत्रफल	. .	. .

3	संस्थागत (चिकित्सा)	10 विस्तर प्राइवेट 15 विस्तर सार्वजनिक	15 प्राइवेट 25 सार्वजनिक	20 प्राइवेट 30 सार्वजनिक
4	(एक) सभाभवन, सिनेमा नाट्य शाला	25 सीट	80	120
	(दो) उपाहार गृह	प्रथम 20 सीटों तक कुछ नहीं प्रत्येक अतिरिक्त 20 सीटों के लिए एक	40	60
	(तीन) विवाह, भवन, सामुदायिक भवन	200 वर्ग मीटर भू–खण्ड क्षेत्र	400 वर्ग मीटर भू–खण्ड	600 वर्ग मीटर भू–खण्ड
5	(एक) प्राइवेट व्यवसाय के लिए व्यावसायिक कार्यालय तथा फर्म	100 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र या उसका प्रभाग	200 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र या उसका प्रभाग	300 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र या उसका प्रभाग
	(दो) सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय	200 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल	300 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल
6	व्यापारिक (11)	100 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र या उसका प्रभाग	200 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र या उसका प्रभाग	300 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र या उसका प्रभाग
7	औद्योगिक	200 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र या उसका प्रभाग	300 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र या उसका प्रभाग	400 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र या उसका प्रभाग
8	भंडार	500 वर्गमीटर या उसका प्रभाग	...	...

टिप्पणी 1– शैक्षणिक भवनों के प्रक्षा–गृहों के मामले में गाड़ी खड़ी करने के स्थान की व्यवस्था अनुक्रमांक–4 के अनुसार की जायेगी

टिप्पणी 2– 100 वर्गमीटर तक भूखण्डों के लिए जैसा कि दूकानों के मामलों में होता है गाड़ी खड़ी करने के स्थानों पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी 3 – अन्य संस्थाओं, परिवहन /संचार केन्द्र के लिए गाड़ी खड़ी करने के स्थानों की आवश्यकता का निर्धारण प्रस्तावित भवन पर आधारित होगा।

टिप्पणी 4 – शैक्षणिक 4,00,000 से अधिक की आबादी वाले महानगर के लिए सड़क से हटकर किनारे पर गाड़ी खड़ी करने के स्थान की आवश्यकताएं मोटे तौर पर कालम (3) पर आधारित होगी और उन्हें इस तरीके से अपनाया जायेगा, जिससे ये नगर की बढ़ी हुई यातायात /यातायात के तरीके तथा वाहनों के स्वरूप के अनुरूप हो।

(ख) अन्य प्रकार के वाहन – गैर आवासिक भवन के लिए, उपयुक्त (क) में उपबंधित गाड़ी खड़ी करने के क्षेत्रों के अतिरिक्त, अन्य प्रकार के वाहन खड़े करने के लिए 25 से 50 प्रतिशत अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की जायेगी तथा अन्य वाहनों के छत के लिए अपेक्षित अतिरिक्त स्थानों से चयन, प्राधिकारी द्वार नगर के यातायात के स्वरूप को देखते हुए विनिश्चित किया जायेगा।

ठ (4) सड़क से हटकर गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी ताकि सड़क पर वाहन के लिए ले जाने के लिए पर्याप्त स्थान रहे तथा चालान क्षेत्र पार्श्ववीथी एवं वाहन की स्थिति परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं का क्षेत्र पार्किंक स्थान में सम्मिलित नहीं होगा

ठ (5) यदि इन नियमों द्वारा अपेक्षित गाड़ी खड़ी करने के कुछ स्थान की व्यवस्था सम्पत्ति स्वामियों के समूह द्वारा

अपने परस्पर लाभों के लिए की जाये, तो इस स्थान के ऐसे उपयोग का अर्थ यह होगा कि इन नियमों के अंतर्गत वह स्थान सड़क से हटकर गाड़ी खड़ी करने के स्थान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वशर्ते कि प्राधिकारी का अनुमोदन हो।

ठ (6) गाड़ी खड़ी करने के स्थानों के अतिरिक्त, व्यापारिक (वाणिज्यिक) औद्योगिक तथा संग्रहागार के भवनों के लिए माल बढ़ाने तथा उतारने के लिए प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर फर्श तथा उसके प्रभाग के लिए 3.5 मीटर 7.5 मीटर के एक स्थान के हिसाब से स्थानों की व्यवस्था की जायेगी।

ठ (7) गाड़ी खड़ी करने के स्थानों को फर्श बंदी की जायेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जायेगा।

ठ (8) गाड़ी खड़ी करने के ऐसे स्थानों के मामले में जिनकी व्यवस्था तलघरों में की गयी हो, पर्याप्त चौड़ाई तथा ढाल के कम से कम दो रपटों (ढाल मार्गों) की व्यवस्था की जायेगी, जो यदि परस्पर विरोधी छोरों, पर हो, तो अधिक अच्छा होगा।